विभिन्न कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान राशि का दिया जाना

493. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कल्याण मंत्रालय से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वच्छिक संगठनों के लिए क्या-क्या पात्रता शर्तें अपेक्षित हैं तथा इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए क्या-क्या नियम और मानदण्ड हैं;

(ख) इसका कार्य क्रमानुसार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य स्तर के स्वैच्छिक संगठनों को कल्याण मंत्रालय से सीधे अनुदान प्राप्त हो सकता है क्योंकि अखिल भारतीय स्तर के तथा राज्य स्तर के स्वच्छिक संगठन एक ही अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) और और (ख) कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, देखभाल व सुरक्षा का आवश्यकता वाले बच्चों, वृद्धों तथा विकलांगों के कल्याण तथा मद्यनिषेध एवं औषध दुरुपयोग पर नियंत्रण करने के लिए भी कार्यक्रम शुरू करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान देता है । भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के लिए भिन्न-भिन्न नियम तथा मानदंड निर्धारित किए गए हैं । फिर भी, कुछ मुख्य शर्तें जो एक स्वयंसेवी संगठन को अन्य बातों के साथ-साथ पूरी करनी चाहिएं :—

(1) संगठन समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतगत पंजीकृत होना चाहिए ।

(2) संगठन सामान्यत: अखिल भारतीय स्वरुप का होना चाहिए ।

(3) संगठन दो वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहा हो ।

(4) संगठन को संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए ।

(5) संगठन की सेवाएं बिना किसी जाति, वर्ण अथवा धर्म के भेदभाव के सभी को उपलब्ध होनी चाहिए ।

(6) संगठन को परियोजना की कुल लागत से कुछ भाग को पूरा करने के लिए स्वयं संसाधन एकत्र करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायक-अनुदान के संबंध में लेखों के लेखापरीक्षित विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने के लिए जोर दिया जाता है । स्वयंसेवी संगठनों के लेखे तथा साथ ही कार्यकरण की भी कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों/केन्द्रीय शासित प्रदेश प्रशासनों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है ।

(ग) और (घ) निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार, कल्याण मंत्रालय से केवल अखिल भारतीय स्वरुप के स्वयंसेवी संगठन ही अनुदान पाने के पात्र हैं अर्थात् जिन संगठनों के कार्यकलाप एक से अधिक राज्य में फैले हुए हों ।

Lowering of Heavy Import and Excise Duties

494. SHRI PARVATHANENI UPENDRA:

DR. YELAMANCHILI SIVAJI:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether foundry industry has approached Government for lowering the heavy imports and excise duties and to make available raw materials like pig iron, aluminium and other alloys at reasonable rates;

(b) whether the foundry industry has requested for bank loans at concessional rates; and

(c) if so, the response of Government to these demands?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES AND THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) Representations are received from time to time by Government from Foundry industry for lowering the import and excise duties on pig iron.

(b) Yes, Sir.

(c) The issue of concessional finance and reduction/abolition of import and excise duties on raw-materials is reviewed from time to time taking into account relevant factors, such as revenue loss, manufacturing margins, international and indigenous prices.

Losses to NCCF

495. SHRI ISH DUTT YADAV:

SHRI VIRENDRA VERMA:

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the reply to Unstarred Question No. 2766 given in Rajya Sabha on 17th March, 1989 and state:

(a) what are the item-wise/transaction-wise/year-wise details of the losses which make a total of Rs. 903.09 lakhs;

(b) whether the total cummulative losses have now repeatedly gone up; if so, what are the latest figures of losses item-wise/transaction-wise/year-wise;

(c) whether 'minor penalty' earlier mentioned to be imposed on CAF in connection with the FCI supplies to Army purchases organisation have since been imposed on him; if so, when; if not, by when the same is likely to be imposed; and

(d) the reasons for which CAF is not suspended, like others, facing CBI inquiry and is allegedly involved in report and sale of dry dates which is currently under regular investigation by CBI?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) The NCCF have reported that they do not maintain item-wise/transaction-wise/ profit and loss account. The year-wise details of the total losses are as follows:—

Year	(Rs. in lakhs) Amount
1983-84	120.12
1984-85	254.34
1985-86	271.47
1986-87	257.36
	Total: 903.29

(b) NCCF have incurred a net loss of Rs. 185.47 lacs during 1987-88. The cummulative losses as on 30.6.88 have gone upto Rs. 1088.76 lacs.

(c) The proceedings are in progress and no time limit can be fixed for their finalisation.

(d) The officer was placed under suspension on 6.5.86 in connection with supply of pulses to FCI which was investigated by the CBI as stated in unstarred question No. 2766 answered on 17-3-89.

The suspension was revoked by the NCCF Management in May, 1988 as the CBI in its report in that case had not recommended any action against him. The CBI have not furnished any report so far to Government on the Import and Sale of Dry dates.

Enquiry against Patna Branch Manager of NCCF

496. SHRI ISH DUTT YADAV:

SHRI VIRENDRA VERMA:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the reply to Unstarred Question No. 1224